



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06032026-270719  
CG-TL-E-06032026-270719

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1123]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 5 मार्च, 2026

का.आ. 1175(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में दिनांक 23 जनवरी, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ.363(ई), दिनांक 23 जनवरी, 2026 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य में वरंगल जिले के नेकोंडा गांव एवं मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25 केवी से 2x25 केवी कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – काज़ीपेट – डोर्नकल सेक्शन में नेकोंडा टीएसएस के निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों अर्थात् “साक्षी (वरंगल मुख्य) (तेलुगु)”, “वेलुगु, (तेलुगु)”, “द हिंदू (अंग्रेजी)” और “वार्ता (हिंदी)” में 29 जनवरी, 2026 को सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर, निर्माण-IV, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और, जबकि, आपत्तियां प्राप्त हुई थीं और उन पर विचार किया गया है तथा जांच पूरी होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है एवं तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

### अनुसूची

**अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण** : तेलंगाना राज्य में वरंगल जिले के नेकोंडा गांव एवं मंडल में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25 केवी से 2x25 केवी कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य हेतु – काज़ीपेट – डोर्नकल सेक्शन में नेकोंडा टीएसएस के निर्माण.

क्रम सं.	मंडल और गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एंजॉयर का नाम	क्षेत्र	संरचना / अभ्युक्तियां
1	नेकोंडा	25	0.23	पट्टा	शुष्क	वाकिटि गौरम्मा पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.0625 गुंटा	विद्युत हाईटेंशन पोल
						वाकिटि रजिता पत्नी सुनील (स्वर्गीय) वाकिटि यमुना पत्नी सुनील (स्वर्गीय)	0.10 गुंटा	
						वाकिटि सारय्या सुपुत्र सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.0475 गुंटा	
						वाकिटि गौरम्मा (डोंका) पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय) वाकिटि सारय्या (डोंका) सुपुत्र सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.02 गुंटा	
						<b>कुल</b>	<b>0.23 गुंटा</b>	
2	नेकोंडा	13	0.39	पट्टा	शुष्क	गोसुला भद्रय्या सुपुत्र वीरय्या	0.15 गुंटा	
						गोसुला मधुकर एवं देवेंदर सुपुत्र वीरय्या	0.24 गुंटा	
						<b>कुल</b>	<b>0.39 गुंटा</b>	
3	नेकोंडा	32/1	0.16	सरकारी	शुष्क	वाकिटि गौरम्मा पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.06 गुंटा	
						गोसुला भद्रय्या सुपुत्र वीरय्या	0.01 गुंटा	
						गोसुला मधुकर एवं देवेंदर सुपुत्र वीरय्या	0.09 गुंटा	
						<b>कुल</b>	<b>0.16</b>	
						<b>सकल योग</b>	<b>एकड़ 1.38 गुंटा</b>	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/NKD/20E]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 5th March, 2026

**S.O. 1175(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 363(E), dated the 23rd January, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 23rd January, 2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target - Construction of Nekonda TSS in Kazipet-Dornakal section in Nekonda Village & Mandal in Warangal District in the state of Telangana.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Sakshi (Warangal Main) (Telugu)”, “Velugu,(Telugu)” “The Hindu(English)”, and “Vaartha (hindi)” dated 29th January, 2026 with the approval of Suneel Kumar Verma, Chief Engineer, Construction-IV, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas, objections were received and same have been considered and after completion of enquiry disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Description of lands in Acquisition:** For Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target- Construction of Nekonda TSS in Kazipet- Dornakal section in Nekonda Village & Mandal in Warangal District in the state of Telangana.

S no	Name of the Mandal & Village	Sy No	Extent	Type of land	Nature of land	Name of the enjoyer	Extent	Structure/ Remarks
1	Nekkonda	25	0.23	Patta	Dry	Vakiti Gouramma W/o Sammaiah (late)	0.0625 gts	Electrical High tension pole
						Vakiti Rajitha W/o Sunil (late) Vakiti Yamuna W/o Sunil (late)	0.10 gts	
						Vakiti saraiah S/o Sammaiah (late)	0.0475 gts	
						Vakiti Gouramma (Donka) W/o Sammaiah (late) Vakiti Saraih (Donka) S/o Sammaiah (late)	0.02 gts	Proposed Donka Daari
						<b>Sub Total</b>	<b>0.23 gts</b>	
2	Nekkonda	13	0.39	Patta	Dry	Gosula Bhadraiah S/o Veeraiah	0.15 gts	
						Gosula Madhukar & Devender S/o Veeraiah	0.24 gts	
						<b>Sub Total</b>	<b>0.39 gts</b>	

3	Nekkonda	32/1	0.16	Govt	Dry	Vakiti Gouramma W/o Sammaiah (Late)	0.06 gts	
						Gosula Bhadraiah S/o Veeraiah	0.01 gts	
						Gosula Madhukar & Devender S/o Veeraiah	0.09 gts	
						Sub Total	0.16	
						<b>Grand Total</b>	<b>Ac 1.38 gts</b>	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/NKD/20E]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV